न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम अनूपगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारी :—श्री पवन कुमार आर.ए.एस.
प्रकरण सं.—15/2020

नक्षत्रसिंह पुत्र श्री वीर सिंह जाति जटसिख साकिन 60 जीबी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर। ——प्रार्थी

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व/भू.अ. अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर ——— अप्रार्थी

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—136 एल.आर.एक्ट

::निर्णय:: दिनांक— 07.10.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की चक—59 जीबी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.—79 पत्थर संख्या—242/450 कुल 1.265 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी जमीन है। जमाबंदी में प्रार्थी का नाम निछतरसिह पुत्र वीरसिंह लिखा हुआ है। प्रार्थी का वास्तव में नाम नक्षत्रसिंह है। प्रार्थी के आधार कार्ड एवं मूल निवास में भी नाम नक्षत्रसिंह दर्ज है। प्रार्थी इस नाम से जाना जाता है। प्रार्थी जमाबंदी में अपना नाम निछतरसिंह की जगह नक्षत्रसिंह करवाना चाहता है। प्रार्थी के आधार कार्ड व मूल निवास की प्रति सलंग्न प्रार्थना पत्र है। उक्त त्रुटि को न्यायहित में दुरस्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम निछतरसिंह के स्थान पर नक्षत्र सिंह दर्ज किया जाना न्यायसंगत है।

पत्रावली में दर्ज तथ्यों एवं सलंग्न दस्तावेजात का गहनता से मनन किया गया। पत्रावली के सलंग्न दस्तावेजात से यह स्पष्ट है कि चक 59 जीबी के प.सं.—242/450 मु.नं.—79 किला नं. —6ता10 का 1.265 हैक्टर रकवा मुताबिक जमाबंदी निछतर सिंह पुत्र वीर सिंह साकिन 60 जीबी ए के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। चक 60 जीबी ए में प्रार्थी के नाम कृषि भूमि में नक्षत्रसिंह पुत्र वीरसिंह दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी प्रति संलग्न है। प्रार्थी के मूल निवास, आधार कार्ड में भी प्रार्थी का नाम नक्षत्रसिंह पुत्र वीरसिंह दर्ज है। पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात एवं रिपोर्ट पर मनन करने के पश्चात प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है कि चक—59 जीबी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.—79 पत्थर संख्या—242/450 कुल 1.265 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी जमीन में प्रार्थी का निछतर सिंह के स्थान पर नक्षत्र सिंह पुत्र वीर सिंह का अंकन किया जावें। अप्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ को उक्त आदेश को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने हेतु तहरीर अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07/10/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
अनूपगढ़

Scanned with CamScanner